

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला-भीलवाडा

पीठारिीन अधिकारी :- गडीपालरिीं, आर०ए०एरा०

मुकदमा संख्या :- २१ / 202१ उा० फु

1- शंकर लाल ङांजीवाल तेवी किं रामजुरीपा- वडो करेडा - कौ० - प्रार्थी।  
वनाम

1- रमेश ङांजीवाल सरगरा किं रामजुरीपा (चावडिा) वडो करेडा - कौ० विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: १३/११

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा० मू० राज० अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चावडिा पटवार हल्का चावडिा मू०अ०नि० क्षेत्र निम्नलिखित उनके खाता संख्या ३३ की आ०नं० २२५६/१०७८, २२५७/१०८०, २२६०/२३१, २२६१/१०८०, २३५५/२२६२, ०.५५२६, ०.३१६२, ०.२५२९, ०.५०५५, ०.१०१२, ०.०२५३ स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के नव्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगडी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ११/११ को पंजीयत किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगडी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अदेशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

:: आदेशः

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम चावडिा पटवार हल्का चावडिा मू०अ०नि० क्षेत्र निम्नलिखित उनके खाता संख्या ३३ की आराजी नम्बर २२५६/१०७८, २२५७/१०८०, २२६०/२३१, २२६१/१०८०, २३५५/२२६२, ०.५५२६, ०.३१६२, ०.२५२९, ०.५०५५, ०.१०१२, ०.०२५३ भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगडी किये जाने हेतु मू० अ०नि० ६००/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण गौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की गौजूदगी में गौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगडी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगडी नही की जावे।

सलंगन :- प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखण्ड अधिकारी  
सहायक जिला अधिकारी

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगडी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवरा में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी  
सहायक जिला अधिकारी